फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2025	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा - वकील अपीलार्थी 2. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्रीमती प्यारीबाई पत्नि स्व. श्री रामलाल जाट, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्रीमती शंकरी पत्नि स्व. श्री रामलाल जाट, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्री भेरूलाल पुत्र श्री नारायणलाल जाट, निवासी जाट मोहल्ला, कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. तहसीलदार, कपासन तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 18/2022 निर्णय दिनांक 12.04.2022 (अनवान श्री भेरूलाल बनाम प्यारीबाई व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 08.01.2025 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 18/2022 निर्णय दिनांक 12.04.2022 (अनवान श्री भेरूलाल बनाम प्यारीबाई व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री भेरूलाल जाट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि श्री भेरूलाल जाट को मृतक श्री रामलाल जाट द्वारा गोद लिया गया, श्री रामलाल जाट का देहान्त दिनांक 16.04.2021 को हो चुका है। मृतक रामजलाल जाट के नाम आराजी संख्या 4975, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4987, 5004, 5127, 6715, 6716, 6717, 6722, 6955/3207, 6956/4174 कुल किता 15 रकबा 6.09 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में अंकित है। गौदपुत्र श्री भेरूलाल, पत्नि श्रीमती प्यारी बाई एवं श्रीमती शंकरीबाई के अलावा श्री रामलाल जाट के कोई अन्य वारिसान नहीं है। अतः उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण तीनों वारिसान के नाम स्वीकृत किया जावें। ● तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.04.2022 से आवेदन स्वीकार किया जाकर मुतबन्ना के रूप में भेरूलाल मुतबन्ना रामलाल व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवाहित पत्नि प्यारीबाई व नातायत पत्नि शंकरीबाई के नाम कृषि भूमि बराबर-बराबर हिस्सा हस्तांतरण करने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौराने कार्यवाही अधिवक्तागण पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जादी का पेश किया, जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 19.12.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 का जुनियर एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस दिनांक 23.10.2024 को पेशशुदा। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 को दिनांक 23.12.2024 तक लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया परन्तु उनके द्वारा बहस हेतु अवसर चाहने पर दिनांक 03.01.2025 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण के साथ सभी प्रार्थना पत्र, आपत्ति एवं गुणावगुण सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं बहस में प्रस्तुत किया है** कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 द्वारा संयुक्त रूप से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 14.03.2022 को अपीलार्थीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण प्रस्तुत करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस दिनांक 15.03.2022 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मोतबिरान के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गई एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसान के नाम विरासत की कार्यवाही किये जाने का आदेश लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2022 को नामान्तरकरण आदेश दिनांक 16.03.2022 को उपरान्त पुनः नवीन आदेशिका तैयार कर उक्त विरासत का नामान्तरकरण की कार्यवाही बन्द किया जाकर प्रकरण संख्या 18/2022 दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है व इसके अन्तर्गत अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती है। श्री भेरूलाल के पक्ष में स्व. रामलाल जाट द्वारा व अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी न तो कोई गोदनामा निष्पादित किया है, न ही श्री भेरूलाल को रामलाल अथवा उसकी पत्नियों द्वारा गोद लिया गया है, न ही सहमति प्रदान की गई। हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत वैध दत्तक के लिये पत्नियों की सहमति आवश्यक है जबकि उक्त प्रकरण में मृतक स्व. रामलाल जाट की पत्नि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त दत्तक ग्रहण व सहमति बाबत इन्कार किया गया है। नगरपालिका कपासन द्वारा जारी वारिसान सूची में भी केवल अपीलार्थीगण को ही वारिस बताया गया है। श्री भेरूलाल द्वारा भी जिरह में स्वीकार किया है कि वह नारायण जाट का एक मात्र पुत्र है और उसकी एक बहन है, आधार कार्ड व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शैक्षणिक दस्तावेजों में उसे नारायण का पुत्र ही बताया गया है। उसके द्वारा गोदनामे की कोई लिखा पढ़ी नहीं करना स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष गवाहान द्वारा विरोधाभासी तथ्य प्रस्तुत किये है, जिस विश्वास कर नियमों से परे जाकर अविधिक अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। समस्त गवाहान से जिरह का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत तहसीलदार को गोदपुत्र घोषणा का अधिकार नहीं है, हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 9 उपधारा 5(ii) अनुसार न्यायालय से अभिप्रेत सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय बताया गया है, जिससे क्षेत्राधिकार से परे जाकर किया हुआ निर्णय काबिल निरस्त के है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-1 की ओर उपस्थित अधिवक्तागण के विबन्धन के सिद्वान्त एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 33 सपठित धारा-151 के खण्डन में प्रस्तुत किया है कि विबन्धन का सिद्वान्त अपीलार्थीगण पर लागु नहीं होता है, अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकित अपने हिस्से की भूमि को अपने भाईयों को दान पत्र किया गया है, वक्त दान पत्र अपीलार्थीगण के हिस्से पर कोई विवाद नहीं था, प्रत्यर्थी-1 द्वारा हस्तगत अपील के विरूद्ध कोई क्रोस अपील पेश नहीं की गई, अपीलार्थीगण द्वारा तीसरे विवादित 1/3 हिस्से का दान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी-1 स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थीगण एवं स्वयं को कथित तोर पर वारिस माना है, ऐसे में प्रत्यर्थी-1 स्वयं विबन्धन के सिद्वान्त से बाधित है और इसके विपरित कथन इस कार्यवाही के दौराने प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है। जहां तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 33 का प्रश्न है, प्रत्यर्थी-1 को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध क्रोस अपील पेश की जानी थी जो नहीं की गई, यह प्रावधान लागु नहीं होता है। जहां तक हिन्दु विधि के तहत पत्नियों के अधिकार का प्रश्न है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-10 में प्रावधान है कि यदि किसी निर्वसीयती की एक से अधिक पत्नियां है, तो दोनों पत्नियों को एक ईकाई मानकर दोनों में समान रूप से मृतक की सम्पत्ति में दी जावेगी। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया और वैध वारिसान अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

1. 2017(2) आरआरटी 986
2. 2009(1) आरआरटी 381
3. 2003(1) आरआरटी 276
4. 2002(1) आरआरटी 648
5. एआईआर 2011 (एनओसी) 210 (पंजाब एवं हरियाणा)

प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथनों के खण्डन में प्रस्तुत किया कि श्री भेरूलाल जाट को मृतक श्री रामलाल जाट द्वारा गोद लिया गया, श्री रामलाल जाट का देहान्त दिनांक 16.04.2021 को हो चुका है। मृतक रामजलाल जाट के नाम आराजी संख्या 4975,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4987, 5004, 5127, 6715, 6716, 6717, 6722, 6955/3207, 6956/4174 कुल किता 15 रकबा 6.09 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में अंकित है। गौदपुत्र श्री भेरूलाल, पत्नि श्रीमती प्यारी बाई एवं श्रीमती शंकरीबाई के अलावा श्री रामलाल जाट के कोई अन्य वारिसान नहीं है। अतः उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण तीनों वारिसान के नाम स्वीकृत किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जो पूर्णतयाः विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोद के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। नामान्तरकरण आदेश से पूर्व संबंधित गवाहान के बयान दर्ज किये गये और सकारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना स्वयं कराई गई और इसके विपरित अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपील पेश की गई। अपील पेश करने के उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा अपने हिस्से दर्ज भूमि का दान पत्र निष्पादित कर दिया गया, जिसमें उसके द्वारा 1/3 हिस्से पर अपना हक जाहिर किया गया, ऐसे में अपीलार्थी पर विबन्धन का सिद्वान्त का भी लागु होता है। अपीलार्थीगण द्वारा दान पत्र में भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं होने के कथन प्रस्तुत किये जो अपील पेश करने के कृत्य के विपरित वचन किये है। ऐसे में अपीलार्थी न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, उसे दान पत्र के बारे में न्यायालय को अवगत कराया जाना था, जो नहीं किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 33 सपठित धारा-151 जादी पर अपना कथन प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि पक्षकारान पर हिन्दु विधि शासित होती है और हिन्दु विधि के अनुसार प्रथम विवाहित पत्नि को ही अधिकार प्राप्त होते है, द्वितीय पत्नि को नहीं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट-1 को जो 1/3 हिस्सा बराबरा दिया गया है, वह गलत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए श्रीमती प्यारीबाई एवं श्री भेरूलाल के नाम आधा-आधा हिस्सा दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः-

1. आरआरडी 1991 पेज 422
2. 1972 सुप्रीम टूडे पेज 444
3. एआईआर 2000 राज पेज 70
4. आरएलआर 2002(1) पेज 751
5. 1993 सुप्रीम टूडे पेज 1014
6. आरआरटी 2021(1) पेज 253
7. आरआरटी 2021(1) पेज 897
8. एआईआर 1988 एससी पेज 54 हेडनोट सी
9. आरबीजे 2007 एससी पेज 438
10. आरआरटी 2010(2) पेज 801
11. आरआरटी 2011(2) पेज 861

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गुणावगुण के आधार पर अपील निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण सभी प्रार्थना पत्र, आपत्ति एवं गुणावगुण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

दौरोन कार्यवाही प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 33 प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान पर हिन्दु विधि शासित होती है और हिन्दु विधि के अनुसार प्रथम विवाहित पत्नि को ही अधिकार प्राप्त होते है, द्वितीय पत्नि को नहीं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट-1 को जो 1/3 हिस्सा बराबरा दिया गया है, वह गलत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए श्रीमती प्यारीबाई एवं श्री भेरूलाल के नाम आधा-आधा हिस्सा दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-1 की ओर उपस्थित अधिवक्तागण के विबन्धन के सिद्वान्त एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 33 सपठित धारा-151 के खण्डन में प्रस्तुत किया है कि विबन्धन का सिद्वान्त अपीलार्थीगण पर लागु नहीं होता है, अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकित अपने हिस्से की भूमि को अपने भाईयों को दान पत्र किया गया है, वक्त दान पत्र अपीलार्थीगण के हिस्से पर कोई विवाद नहीं था, प्रत्यर्थी-1 द्वारा हस्तगत अपील के विरूद्ध कोई क्रोस अपील पेश नहीं की गई, अपीलार्थीगण द्वारा तीसरे विवादित 1/3 हिस्से का दान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी-1 स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थीगण एवं स्वयं को कथित तोर पर वारिस माना है, ऐसे में प्रत्यर्थी-1 स्वयं विबन्धन के सिद्वान्त से बाधित है और इसके विपरित कथन इस कार्यवाही के दौराने प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है। जहां तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 33 का प्रश्न है, प्रत्यर्थी-1 को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध क्रोस अपील पेश की जानी थी जो नहीं की गई, यह प्रावधान लागु नहीं होता है। इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 33 के अंकित तथ्यों एवं खण्डन में प्रस्तुत बहस पर विचार विश्लेषण किया गया और पाया गया कि प्रस्तुत उज्र हस्तगत प्रकरण में विनिश्चय किये जाने वाले प्रमुख बिन्दु है, जो गुणागुणव पर किये जाने अपेक्षित है, अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 33 पर पृथक से विवेचन न कर प्रकरण का गुणावगुण पर निम्नानुसार विनिश्चय/निर्णय किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री भेरूलाल जाट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.04.2022 से आवेदन स्वीकार किया जाकर मुतबन्ना के रूप में भेरूलाल मुतबन्ना रामलाल व विवाहित पत्नि प्यारीबाई व नातायत पत्नि शंकरीबाई के नाम कृषि भूमि बराबर-बराबर हिस्सा हस्तांतरण करने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2022 से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तगत प्रकरण में विवाद का प्रमुख बिन्दु श्री भेरूलाल का गोदपुत्र होना या न होना है, जिसके पक्ष में अधिवक्ता प्रत्यथी-1 के उक्तानुसार कथन प्रस्तुत किये, जबकि अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा श्री भेरूलाल के गोदपुत्र नहीं होने के उक्तानुसार कथन प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में प्रत्यर्थी-1 द्वारा कोई लिखित गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह प्रकट करता है कि कोई गोदनामा निष्पादित नहीं हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट है कि श्री रामलाल जाट के दो पत्नियां श्रीमती प्यारीबाई एवं श्रीमती शंकरीबाई होकर प्राकृतिक वारिसान है। इस संबंध में पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 15.03.2022 में भी दोनों पत्नियों का विधिक वारिसान होने का अंकन किया गया। रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि श्री रामलाल के कोई पुत्र व पुत्री नहीं थे। रिपोर्ट में श्रीमती प्यारीबाई व श्रीमती शंकरबाई द्वारा श्री भेरूलाल के गोद नहीं लिये जाने एवं गोद हेतु सहमति नहीं दिये जाने का अंकन भी किया गया है। श्री भेरूलाल पुत्र नारायणलाल को श्री रामलाल के भतीजे का पोत्र होना बताया गया है। श्री रामलाल की मृत्यु उपरान्त रामलाल की पगड़ी श्री नारायणलाल को बांधना भी बताया गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत हम यहा हिन्दु उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 में अभिलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है, जिसके अनुसार-

> **हिन्दू पुरूष की दत्तक लेने की सामर्थ्य - किसी भी हिन्दु पुरूष को जो स्वस्थ चित्त हो और अप्राप्तवय न हो सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले :**
>
> **परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अन्तिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या वह हिन्दू न रह गई हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त की है, तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं लेगा।**

इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि दत्तक पुत्र/पुत्री लेते समय पत्नी की सहमति आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी-1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि श्री रामलाल की पत्नियां अपीलार्थीगण द्वारा कोई सहमति दी गई हो। अपीलार्थीगण पत्नियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही में गोदपुत्र नहीं लिये जाने के कथन बारम्बार प्रस्तुत किये गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी-1 का गोदपुत्र होने के बतौर सहमति स्वरूप कोई दस्तावेज नहीं होने के पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदपुत्र होने के के आधार पर आराजी जैर का नामान्तरणकरण अपीलार्थीगण के साथ साथ श्री भेरूलाल के पक्ष में भी दर्ज किये जाने को विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जहां गोदपुत्र और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर बिना किसी गोदनामा एवं मात्र मौतबिरान के कथनों के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। गोद के संबंध में प्रत्यर्थी-1 को साबित करना होगा कि वह वाकई कानूनन गोदपुस बन सकता है या कानूनन गोदपुत्र है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक प्रत्यर्थी-1 को मृतक रामलाल की आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस मामलें में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम भी लागु होता है। नियम 135 के तहत केवल उत्तराधिकार पर ही संबंधित ग्राम पंचायत/तहसीलदार इन्तकाल स्वीकृत कर सकते है। प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा कोई गोदपत्र के आधार पर अपने नाम से मृतक की भूमि का विरासत इन्तकाल करवाना चाहता है तो उसके लिए नियमित वाद किया जाना आवश्यक है जिससे प्राकृतिक उत्तराधिकारियो को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर साक्ष्य एवं सबुत के आधार पर गोद के बिन्दु को निर्णित किया जा सके। वर्तमान अपीलार्थीगण मृतक श्री रामलाल की पत्नियां होकर विधिक वारिसान है। श्री रामलाल की मृत्यु के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और मृतक श्री रामलाल की खातेदारी की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अतिरिक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-10 में प्रावधान है कि यदि किसी निर्वसीयती की एक से अधिक पत्नियां है, तो दोनों पत्नियों को एक ईकाई मानकर दोनों में समान रूप से मृतक की सम्पत्ति में दी जावेगी। प्रावधित है कि नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये प्रत्यर्थी-1 को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि हिन्दु उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि दत्तक पुत्र/पुत्री लेते समय पत्नी की सहमति आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी-1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि श्री रामलाल की पत्नियां अपीलार्थीगण द्वारा कोई सहमति दी गई हो। गोद के प्रकरण में पगड़ी बांधना महत्वपूर्ण नही है। गोद लेने व देने की रस्म एवं गोद लेने एवं देने वाले माता पिता की सहमति महत्वपूर्ण है। अपीलार्थीगण पत्नियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही में गोदपुत्र नहीं लिये जाने के कथन बारम्बार प्रस्तुत किये गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी-1 का गोदपुत्र होने के बतौर सहमति स्वरूप कोई दस्तावेज नहीं होने के पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदपुत्र होने के के आधार पर आराजी जैर का नामान्तरणकरण अपीलार्थीगण के साथ साथ श्री भेरूलाल के पक्ष में भी दर्ज किये जाने को विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-10 में प्रावधान है कि यदि किसी निर्वसीयती की एक से अधिक पत्नियां है, तो दोनों पत्नियों को एक ईकाई मानकर दोनों में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 29/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/33) **श्रीमती प्यारीबाई जाट व अन्य बनाम श्री भेरूलाल जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समान रूप से मृतक की सम्पत्ति में दी जावेगी। एक बार जब गोदपुत्र होना प्रश्नगत कर दिया जाता है तो फिर गोदपुत्र होने का दावा करने वाले व्यक्ति के पास एक ही रास्ता है कि वह सक्षम न्यायालय से अपने को गोदपुत्र घोषित करावें। स्वामित्व स्थापित करने के लिये प्रत्यर्थी-1 को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। उपरोक्त स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को अनदेखा करते हुए एक त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो समर्थन योग्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण लागु होकर चस्पा होते है जबकि अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में उक्त तथ्यों से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते है।

परिणामतः **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन का निर्णय दिनांक 12.04.2022 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित आराजीयात के खातेदार मृतक श्री रामलाल के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, कपासन को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर